रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234196
CG-DL-E-15032022-234196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 70] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

सं. ई-11012/08/2013-राजभाषा(पार्ट)-2(क).—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15 1988 मार्च, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20015/45287-रा.भा.(क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग की पिछली हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 14.09.2018 को समाप्त होने तथा 17वीं लोकसभा के गठन के उपरांत दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन तथा उसके संकार्य निम्नानुसार होंगे :-

1.	संचार मंत्री	अध्यक्ष
2.	संचार राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

1. श्री प्रताप सिम्हा संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
2. श्री हिबी इडन संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3. श्री सैयद जफर इस्लाम	सदस्य

संसद सदस्य (राज्य सभा)

4. श्री भास्कर राव नेक्कांति — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

5. श्रीमती रंजना बेनधनन्जय भट्ट — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)

6. श्री सुशील कुमार गुप्ता, — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ द्वारा नामित

7. श्री चन्द्रदेव कवड़े, — सदस्य
(उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ)

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

8. श्री श्याम सुंदर कथूरिया, — सदस्य
(प्रतियोगिता मंत्री, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद)

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

9. श्री प्रदीप केडिया, सदस्य, मुंबई — सदस्य
10. श्री जमशेद आलम, नई दिल्ली — सदस्य
11. श्री गौरव मित्तल, कैथल, हरियाणा — सदस्य

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा नामित

12. डॉ. झबलू राम — सदस्य
लेन नं. 6, गौतम नगर कॉलोनी,
सुसुवाही, वाराणसी-221005

13. डॉ. गुरमीत सिंह — सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

14. डॉ. सुमन शर्मा — सदस्य
अध्यक्ष – राजस्थान राज्य महिला आयोग
6/352, मालवीय नगर, जयपुर

15. डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव, — सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, मोतिहारी।

सरकारी सदस्य

गृह मंत्रालय

16. सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य
17. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य

दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय

18.	सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
19.	सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार विभाग	सदस्य
20.	सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग	सदस्य
21.	सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग	सदस्य
22.	विशेष/अपर सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
23.	अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
24.	महानिदेशक, दूरसंचार, नई दिल्ली	सदस्य
25.	वरिष्ठ उप महानिदेशक, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र, नई दिल्ली	सदस्य
26.	प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, नई दिल्ली	सदस्य
27.	महानियंत्रक, संचार लेखा, नई दिल्ली	सदस्य
28.	निदेशक, बेतार अनुश्रवण संगठन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	वरिष्ठ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र, बेंगलुरु	सदस्य
30.	कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट, नई दिल्ली)	सदस्य
31.	महानिदेशक, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद	सदस्य
32.	महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
33.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), नई दिल्ली	सदस्य
34.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), नई दिल्ली	सदस्य
35.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टेलीकॉम्युनिकेशन्स कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), नई दिल्ली	सदस्य सदस्य
36.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली	सदस्य
37.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई.टी.आई. लिमिटेड, बेंगलुरु	सदस्य
38.	उप महानिदेशक(समन्वय एवं प्रशासन)/संयुक्त सचिव (प्रशासन) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

2. समिति का कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन तथा दूरसंचार विभाग और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों/उपक्रमों के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

3. समिति का कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल इसके गठन की तारीख अर्थात् इस संकल्प के जारी हाने की तारीख से तीन वर्ष तक रहेगा बशर्त कि :-

(क) जो संसद सदस्य, समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल में से शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

(घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगातथापि, समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20034/04/2005-रा.भा.(नीति-2) द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अत: यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :-

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति में अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सु. बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd March, 2022

No. E11012/08/2013-OL(Part)-2(A).—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's O.M. No.II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications after the expiry of the term of the previous Samiti on 14.09.2018 and constitution of the 17th Lok Sabha. The composition and functions of the Samiti will be as follows :

1.	Minister of Communications	Chairman
2.	Minister of State for Communications	Vice-Chairman

NON-OFFICIAL MEMBERS

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1. Shri Prathap Simha Member
   M.P. (Lok Sabha)
2. Shri Hibi Eden Member
   M.P. (Lok Sabha)
3. Shri Syed Zafar Islam Member
   M.P. (Rajya Sabha)
4. Shri Bhaskar Rao Nekkanti Member
   M.P. (Rajya Sabha)

Nominated by the Committee of Parliament on Official Language

5. Smt. Ranjanben Bhatt Member
   M.P. (Lok Sabha)
6. Shri Sushil Kumar Gupta Member
   M.P. (Rajya Sabha)

Nominated by Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh

7. Prof. Chandradev Kawade Member
   (Vice President, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh)

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

8 . Shri Shyam Sunder Kathuriya Member
   (Pratiyogita Mantri, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad)

Nominated by the Department of Official Language

9. Shri Pradeep Kedia, Mumbai. Member
10. Shri Jamshed Alam, New Delhi. Member
    Minority Commission.
11. Shri Gaurav Mittal, Kaithal, Haryana. Member

Nominated by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications

12. Dr. Jhablu Ram Member
    Lane No. 6, Gautam Nagar Colony
    Susuvahi, Varanasi-221005
13. Dr. Gurmeet Singh Member
    Associate Professor, Department of Hindi
    Punjab University, Chandigarh.
14. Dr. Suman Sharma Member
    Chairperson – Rajsthan State Commission for Women
    6/352, Malviya Nagar, Jaipur.
15. Dr. Anjani Kumar Srivastava Member
    Associate Professor, Department of Hindi
    Mahatma Gandhi Central University, Bihar, Motihari.

OFFICIAL MEMBERS

Ministry of Home Affairs

16. Secretary, Department of Official Language	Member
17. Joint Secretary, Department of Official Language	Member
Department of Telecommunications, Ministry of Communications	
18. Secretary, Department of Telecommunications	Member
19. Member (Services), Department of Telecommunications	Member
20. Member (Finance), Department of Telecommunications	Member
21. Member (Technology), Department of Telecommunications	Member
22. Special Secretary/Additional Secretary, Department of Telecommunications	Member
23. Chairman, Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi	Member
24. Director General, Telecommunications, New Delhi	Member
25. Senior Deputy Director General, Telecom Engineering Centre, New Delhi	Member
26. Administrator, Universal Service Obligation Fund, New Delhi.	Member
27. Controller General of Communation Accounts, New Delhi	Member
28. Director, Wireless Monitoring Organization, New Delhi	Member
29. Senior Deputy Director General, National Centre for Communication Security, Bengaluru	Member
30. Executive Director, Centre for Development of Telematics (C-DoT), New Delhi	Member
31. Director General, National Telecommunications Institute for Policy Research, Innovation & Training, Ghaziabad	Member
32. Director General, National Institute of Communication Finance, New Delhi	Member
33. Chairman & Managing Director, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), New Delhi.	Member
34. Chairman & Managing Director, Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), New Delhi	Member
35. Chairman & Managing Director, Telecommunications Consultants India Limited (TCIL), New Delhi.	Member
36. Chairman & Managing Director, Bharat Broadband Network Limited (BBNL), New Delhi	Member
37. Chairman & Managing Director, I.T.I. Limited, Bengaluru.	Member
38. Deputy Director General (Coordination &Administration)/ Joint Secretary (Administration), Department of Telecommunicatiions, New Delhi	MemberSecretary

2. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

Functions of the Samiti will be to render advice to the Government in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules framed thereunder, decisions of the Kendriya Hindi Samiti, implementatioin of the instructions issued by the Department of Official Language and give advice to progressive use of Hindi in the Department of Telecommunications and its attached, subordinate, corporate offices/undertakings.

3. TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti shall be three years from the date of its constitution i.e. from the date of issue of this resolution, provided that :-

(a) A member, who is a Member of Parliament, ceases to be member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members a long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that capacity shall hold the office for residual term.

(d) Under special circumstances, the tenure of the Samiti can be extended.

4. GENERAL

Headquarter of the Samiti will be in New Delhi, but the Samiti can convene its meetings at any other place other than Delhi, if necessary.

5. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd Februrary, 2006 has stated that as the 15 non official members include 06 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samiti, constituted by the Central Ministries/Departments, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner :-

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling/daily allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954, as amended from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling/daily allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language’s O.M. No. II/20034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Government of India, President’s Secretariat, Vice President’s Secretariat, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenue, Election Commission and Union Public Service Commission.

It is also ordered that a copy of this resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General (Coordination & Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.15 13:37:00 +05'30'